14/A

न्यायालय श्रीमान् मुंसिफ अजमेर शहर (पश्चिम) अजमेर

दीवानी वाद संख्या -------- सन् 1978

सैयद खालिद मोहनी वालिद श्री सैयद ज़ेनुल आबेदीन
खादेम ख्वाजा साहिब, मोहनी मंजिल, खादिम मोहल्ला,
अजमेर ।

---- वादी

बनाम

दी दरगाह कमेटी अजमेर ।

---- प्रतिवादी

जवाब दावा अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपरोक्त प्रतिवादी की ओर से निम्न निवेदन है :-

1- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 1 मौजूदा स्थिति में गलत होने के कारण अस्वीकार है । प्रतिवादी एक बोडी कोरपोरेट है, न कि संयुक्त संस्था, जैसा कि वाद के इस चरण में अंकित किया गया है ।

2- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 2 के जवाब में निवेदन है कि दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में केवल मुसलमानों बल्कि सब धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थान है और प्रतिवादी दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस पवित्र स्थान का प्रबन्ध व देखभाल करती है ।

3- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 3 दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के प्रावधानों से सम्बन्धित है और इस अधिनियम के प्रावधान ही सही स्थिति स्पष्ट करेंगे ।

4- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 4 के उत्तर में निवेदन है कि प्रतिवादी ने श्री सैयद ज़ेनुल आबेदीन अली खां को इन्टरीम सज्जादा नशीन मुकर्र किया था तथा राज्यपाल राजस्थान ने उक्त

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

इन्टरीम सज्जादानशीन की नियुक्ति का अनुमोदन किया है ।

5- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य कि दिनांक 11 दिसम्बर 76 को राजपत्र भारत सरकार के द्वारा सज्जादानशीन की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे, सही है ।

6- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 6 गलत रूप में वर्णित होने के कारण अस्वीकार है । राज्य सरकार द्वारा पारित आज्ञप्ति संख्या एफ-21§21§रेव/1/75 तो केवल प्रतिवादी द्वारा नियुक्त इन्टरीम सज्जादानशीन की नियुक्ति का अनुमोदन करती है । इन्टरीम अथवा स्थाई सज्जादानशीन नियुक्त करने का अधिकार तो केवल प्रतिवादी कमेटी को है ।

7- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है । इस चरण में अंकित आरोप बहुत ही अस्पष्ट §वेग§ होने के कारण भी अस्वीकार है । प्रतिवादी अथवा उसके किसी प्रतिनिधि व नौकर ने दिनांक 29-9-78 व 19-10-78 को किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सज्जादानशीन के कार्य करने के लिये अधिकृत नहीं किया । श्री अलाऊद्दीन उर्फ आरिफ सुपुत्र श्री इलमुद्दीन मौजूदा इन्टरीम सज्जादानशीन के छोटे भाई है । ऊपर वर्णित आज्ञप्ति की अवहेलना इस प्रतिवादी द्वारा किये जाने के आरोप गलत व बेबुनियाद है । आम मुसलमानों द्वारा ऐतराज किये जाने तथा उन्हें धक्का लगने के आरोप भी बिल्कुल मनगढंत, मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है ।

8- यह कि वाद पत्र को चरण संख्या 8 में वर्णित आरोप जिस स्थिति में वर्णित है वह गलत होने के कारण अस्वीकार है ।

9- यह कि वाद पत्र को चरण संख्या 9 में वर्णित आरोप जिस स्थिति में लगाये गये है, वह अस्वीकार है । स्थायी सज्जादानशीन की नियुक्ति का प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के अधीन विचाराधीन है । वादी का यह कहना कि प्रतिवादी यदि सज्जादानशीन का कार्य करवाये तो उसे कोई आपत्ति नहीं तर्कहीन व गलत होने से अस्वीकार है ।

10- यह कि वाद पत्र का चरण संख्या 10 गलत व गैर-कानूनी होने के कारण अस्वीकार है । वादी को वाद का कारण कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है ।

11- यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 11 न्याय शुल्क की अदायगी व क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है । वाद का मुल्यांकन बाबत न्याय शुल्क कम किया गया है क्योंकि अनुतोष संख्या 12§1§ बाबत घोषणा पर कोई भी न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है । स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा के अनुतोषों पर अलग-अलग न्याय शुल्क देना आवश्यक है ।

12- यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 12 अनुतोष से सम्बन्धित है और वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । वाद मय खर्चे खारिज होने योग्य है ।

अतिरिक्त अभिवचन
==============

13- यह कि वादी को यह वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वादी के किसी भी अधिकार पर कोई भी आघात इस वाद पत्र में प्रतिवादी द्वारा पहुंचाना अंकित नहीं है केवल काल्पनिक आधार व धार्मिक भावनाओं पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वाद नहीं लाया जा सकता है ।

14- यह कि प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद श्री जेनुल आबेदीन इन्टरीम सज्जादानशीन की अनुपस्थिति में चलने योग्य नहीं है वह इस वाद में आवश्यक पक्षकार है ।

15- यह कि यह वाद धारा 92 सि0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार भी मौजूदा स्थिति में चलने योग्य नहीं है ।

16- यह कि सदियों से यह परम्परा व रिती रिवाज चला आ रहा है कि सज्जादानशीन अपरिवर्जनीय §अनअवोइडेबल§ परिस्थितियों में अपने पद का कार्य अपने प्रतिनिधि व परिवार के सदस्यों के द्वारा कराता आ रहा है । भूतपूर्व सज्जादानशीनों द्वारा भी समय समय पर उनके पद का कार्य उनके प्रतिनिधि या परिवार के सदस्यों द्वारा करवाया गया था । इस परम्परा व रीति-रिवाज पर किसी भी मुस्लिम धर्मावलम्बी ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं की है ।

17- यह कि दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के अन्तर्गत प्रतिवादी सज्जादानशीन के लिये नियुक्ति अधिकारी §अपोइंटिंग ओथेरिटी§ है और अपरिवर्जनीय परिस्थितियों §अनअवोइडेबल

सरकमस्टान्सेज§ में किसी भी व्यक्ति से सज्जादानशीन के पद का कार्य करवा सकतीहै । प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने में वादी या किसी भी अन्य मुस्लिम व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । यह कार्य मुस्लिम विधि के भी अनुरूप है ।

18- यह कि वाद सिविल नेचर का नहीं है । अत: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधीन यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है ।

19- यह कि आवश्यक पक्षकार श्री ज़ैनुउल आबेदीन इन्टरीम सज्जादानशीन की अनुपस्थिति में यह न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध कोई भी न्याय संगत व प्रवर्तनीय आदेश पारित नहीं कर सकता है ।

20- यह कि वादी द्वारा जो घोषणा प्राप्त करने का अनुतोष मांगा है वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के प्रावधानों के अनुरूप वाद में उसे प्रदान नहीं किया जा सकता है । घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के लिये वादी के किसी कानूनी अधिकार का हनन होना आवश्यक है जो कि वादी ने अपने सम्पूर्ण वाद पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है ।

21- यह कि वादी स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधानों के कारण प्राप्त नहीं सकता है

22- यह कि यह वाद मय विशेष खर्चे सहित खारिज होने योग्य है।

अत: माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी के इस वाद को मय विशेष खर्चे खारिज करने की आज्ञा प्रदान करें जो न्याय संगत होगा ।

अजमेर,

दिनांक जनवरी 25 ,1979

नाज़िम
दरगाह कमेटी अजमेर

स त्या प न

मैं, एम0 ए0 खां, नाज़िम दरगाह कमेटी अजमेर वर आफ अटोर्नी होल्डर श्री एस0ए0एम0 ईशाक, प्रेसिडेन्ट, दरगाह कमेटी, अजमेर यह सत्यापित करता हूं कि जवाबदावा के मद संख्या 1 से 22 में वर्णित तथ्य मेरे द्वारा दरगाह आफिस से प्राप्त सूचना पर आधारित होने के कारण सही व सत्य है तथा अंतिम चरण अनुतोष है ।

अजमेर,

दिनांक जनवरी ,1979

नाज़िम
दरगाह कमेटी, अजमेर